



संख्या-ई- 5365 / जी0एस0

दिनांक: 27 जुलाई, 2025

आदेश

1. प्रो० आलोक कुमार राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का चयन निदेशक, आई०आई०एम०, कलकत्ता के पद पर हो जाने के परिणाम स्वरूप, कुलपति के पद से कार्यमुक्त किये जाने विषयक पत्र दिनांक 26.07.2025 को प्रस्तुत करते हुए, दिनांक 27.07.2025 की अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2. मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-12(10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रो० मनुका खन्ना, प्रति कुलपति को, नियमित कुलपति की नियुक्त होने, छः माह से अनधिक पदावधि अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति के दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त करती हूँ।
3. इस हेतु प्रो० मनुका खन्ना, प्रति कुलपति को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. प्रो० आलोक कुमार राय, दिनांक 27.07.2025 की अपरान्ह से कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पद से कार्यमुक्त माने जायेंगे।

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रो० आलोक कुमार राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 2- प्रो० मनुका खन्ना, प्रति कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(डा० सुधीर एम० बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव